न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 397 / 2026

अनवान : –

1. राकेश जाखल पुत्र राजा राम जाति जाट निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
2. सुभाषचंद्र पुत्र राजाराम जाखल जाति जाट निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. राजाराम पुत्र लेखूराम जाति जाट निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादीगण**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 11/06/2026

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर के खाता स0 242 / 249 की कुल 23.4840 हैक्ट भूमि में से 1 / 7 हिस्सा भूमि व रोही मौजा भंगुली तहसील नोहर के खाता स0 69 / 70 की कुल 15.947 हैक्ट भूमि में से 4975 / 31894 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि पूर्व में वादीगण के दादा के नाम थी। प्रतिवादी स0 1 के कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी स0 1 अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादीगण का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। वाद भूमि बाबत वादीगण व प्रतिवादी स0 1 का बाहमी राजीनामा हो चुका है एवं मुताबिक राजीनामा रोही मौजा ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर के खाता स0 242 / 249 की कुल 23.4840 हैक्ट भूमि में से 1 / 7 हिस्सा भूमि के वादीगण बहिब के खातेदार काश्तकार है व रोही मौजा भंगुली तहसील नोहर के खाता स0 69 / 70 की कुल 15.947 हैक्ट भूमि में से 4975 / 31894 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम यथावत रहेगी। वादीगण इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

Rahul

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ने जरिये अधिवक्ता वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादीगण ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि पूर्व में वादीगण के दादा के नाम थी। प्रतिवादी स0 1 के कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी स0 1 अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादीगण का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। वाद भूमि बाबत वादीगण व प्रतिवादी स0 1 का बाहमी राजीनामा हो चुका है एवं मुताबिक राजीनामा रोही मौजा ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर के खाता स0 242/249 की कुल 23.4840 हैक्ट भूमि में से 1/7 हिस्सा भूमि के वादीगण बहिब के खातेदार काश्तकार है व रोही मौजा भंगुली तहसील नोहर के खाता स0 69/70 की कुल 15.947 हैक्ट भूमि में से 4975/31894 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम यथावत रहेगी। प्रतिवादी स0 1 द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादीगण के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर के खाता स0 242/249 की कुल 23.4840 हैक्ट भूमि में से 1/7 हिस्सा भूमि व रोही मौजा भंगुली तहसील नोहर के खाता स0 69/70 की कुल 15.947 हैक्ट भूमि में से 4975/31894 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादीगण द्वारा प्रस्तुत

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

दस्तावेजो के मुताबिक उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है वादीगण द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है वादीगण का कथन है कि उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि पूर्व में वादीगण के दादा के नाम थी। प्रतिवादी स0 1 के कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी स0 1 अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादीगण का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। वाद भूमि बाबत वादीगण व प्रतिवादी स0 1 का बाहमी राजीनामा हो चुका है एवं मुताबिक राजीनामा रोही मौजा ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर के खाता स0 242/249 की कुल 23.4840 हैक्ट भूमि में से 1/7 हिस्सा भूमि के वादीगण बहिब के खातेदार काश्तकार है व रोही मौजा भंगुली तहसील नोहर के खाता स0 69/70 की कुल 15.947 हैक्ट भूमि में से 4975/31894 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम यथावत रहेगी, वादीगण के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नही है अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी स0 1 की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर के खाता स0 242/249 की कुल 23.4840 हैक्ट भूमि में से 1/7 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व रोही मौजा भंगुली तहसील नोहर के खाता स0 69/70 की कुल 15.947 हैक्ट भूमि में से 4975/31894 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 11/06/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 397 / 2026

अनवान : –

1. राकेश जाखल पुत्र राजा राम जाति जाट निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
2. सुभाषचंद्र पुत्र राजाराम जाखल जाति जाट निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. राजाराम पुत्र लेखूराम जाति जाट निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 397 सन 2026 निर्णय दिनांक 11/06/2026

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर के खाता स0 242 / 249 की कुल 23.4840 हैक्ट भूमि में से 1 / 7 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व रोही मौजा भंगुली तहसील नोहर के खाता स0 69 / 70 की कुल 15.947 हैक्ट भूमि में से 4975 / 31894 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 / – रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक .....11/06/26..... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर